

**न्यायालयः-नताशा शेख पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार जिला धार (म.प्र.)****-आपराधिक कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2024-**

क्रमांक— 208 / 2024

धार, दिनांक : 07.05.2024

मैं नताशा शेख पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, धार जिला धार (म.प्र.) के अनुमोदन उपरांत पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2023, दिनांक 11.04.2023 (समस्त संशोधन सहित) को निरस्त करते हुए धार जिले में पदरथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक कार्य का विभाजन नीचे लिखे अनुसार करती हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धार के अनुमोदन पश्चात से आगामी अन्य आदेश होने तक निरन्तर प्रभावशील रहेगा :—

1	2	3	4
1	नताशा शेख पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार	संपूर्ण जिला धार	1—सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी धार द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र। 2—तेजाब फेंककर क्षति या उपहति करने विषयक आपराधिक प्रकरण। 3—श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4—जिले के समस्त थानों से संबंधित ई.आर. (खारिजी) 5—पर्यावरण से संबंधित मामले। 6—सायबर क्राइम से संबंधित मामले। 7—नापतौल विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र। 8—रेलवे अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय (रेलवे न्यायालय) के अतिरिक्त प्रकरण। 9—अन्य ऐसे समस्त मामले जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में नहीं है।
		संपूर्ण तहसील धार	1—दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।
		1—आरक्षी केन्द्र कोतवाली धार  2—आरक्षी केन्द्र पीथमपुर (सेक्टर-3 बगदून)  3—आरक्षी केन्द्र यातायात, धार	1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। 2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। 3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4—राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8—सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण। 9—आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त धार एवं सागौर

			द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
2	श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी मजूमदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	आरक्षी केन्द्र तिरला	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7— उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय—समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>10—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क.डी./394/III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में।	महिला पुलिस थाना धार		उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत पंजीबद्व अपराध से समस्त कार्यवाही, अंतिम प्रतिवेदन व खात्मा प्रकरण।
	संपूर्ण तहसील धार		<p>1—सम्पूर्ण तहसील धार के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (ग्राम न्यायालय के सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर)।</p> <p>2— अध्याय—9 दं.प्र.सं. से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अन्य प्रकरण)।</p> <p>3—सम्पूर्ण तहसील धार के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद व रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाहियों भी शामिल होगी)।</p>
3	सुश्री संजना मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	1—आरक्षी केन्द्र नौगांव	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p>

			<p>4—उक्त थाना के क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय—समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>10—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p> <p>11—आरक्षी केन्द्र कोतवाली धार एवं पीथमपुर (से.न.३ बगदून) के क्षेत्रान्तर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>12—आरक्षी केन्द्र कोतवाली धार एवं पीथमपुर (से.न.३ बगदून) के धारा 52—क एन.डी.पी.एस. एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
		सम्पूर्ण तहसील धार	<p>1—सम्पूर्ण तहसील धार के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एकट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण।</p> <p>2—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p>
4	श्री संजीव पिपलादिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, धार	<p>1—आरक्षी केन्द्र माण्डव</p> <p>2—आरक्षी केन्द्र नालछा</p> <p>3—आरक्षी केन्द्र विशेष पुलिस अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, (अ.जा.क) धार</p>	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना के क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी</p>

			<p>अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय—समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>10—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p> <p>11—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण अजाक, धार से उत्पन्न ऐसे प्रकरण जिनका विचारण माननीय विशेष न्यायालय अ.जा./अ.ज.जा., (अ.नि.) अधि. धार द्वारा किया जाता है, को छोड़कर समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
		संपूर्ण तहसील धार	संपूर्ण तहसील धार के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण।
5	श्रीमती उषाकांता बैरागी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	आरक्षी केन्द्र सादलपुर	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा द.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना के क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय—समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>10—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
6	श्री कादिर खॉ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	आरक्षी केन्द्र सेक्टर नम्बर 1 पीथमपुर	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा द.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना के क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम</p>

		<p>के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7— उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9—ऐसे न्यायालय जो रिक्त हैं, उन न्यायालयों के अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों में समस्त कार्यवाही।</p> <p>10—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय—समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>11—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
	<p>वन विधि, खनन अधि. व वन्य प्राणी संरक्षण अधि० अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क.सी/1743/ जबलपुर दिनांक 04.05.16 एवं ज्ञापन क. डी/3036 III-6-6/90 जबलपुर दि.28.07.16 के पालन में।</p>	<p>संपूर्ण तहसील धार</p> <p>1—संपूर्ण तहसील धार में वन अधिनियम एवं खनिज अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>2—संपूर्ण तहसील धार में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>3—म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद (मजिस्ट्रेट द्रायल प्रकरण)</p> <p>4—म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>5—औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 से संबंधित प्रकरण।</p>
7	<p>श्री यश दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार</p>	<p>1—आरक्षी केन्द्र, सागौर</p> <p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना के क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7— उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक</p>

			<p>प्रकरण।</p> <p>9—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय—समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>10—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
8	सुश्री नेहा प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर	आरक्षी केन्द्र बदनावर	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा द.प्र.सं.के अपराधों से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। (अध्याय—9 द.प्र.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9—आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त <b>बदनावर—अ</b> (बदनावर) द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>10—ऐसे न्यायालय जो रिक्त है उन न्यायालयों के अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों में समस्त कार्यवाही।</p> <p>11—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>12—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
	वन विधि, खनन अधि. व वन्य प्राणी संरक्षण अधि० अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र.सी./1743/ जबलपुर दिनांक 04.05.16 एवं ज्ञापन क. डी./3036 III-6-6/90 जबलपुर दि.28.07.16 क पालन में।	संपूर्ण तहसील बदनावर	<p>1—संपूर्ण तहसील बदनावर में वन अधिनियम एवं खनिज अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>2—संपूर्ण तहसील बदनावर में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>3—संपूर्ण तहसील बदनावर के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एकट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण।</p> <p>4—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>5—दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित</p>

			<p>समस्त प्रकरण ।</p> <p>6—म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद (मजिस्ट्रेट द्रायल प्रकरण)</p> <p>7—म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण ।</p> <p>8—औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 से संबंधित प्रकरण ।</p>
9	<p>सुश्री जसविता शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर</p> <p>महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क.डी/394/III-6- 6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में ।</p>	<p>—</p> <p>संपूर्ण तहसील बदनावर</p>	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा द.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही ।</p> <p>3—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय—समय पर अंतरित प्रकरण ।</p> <p>1—सम्पूर्ण तहसील बदनावर के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण तथा अध्याय 9 द.प्र.सं. से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>2—सम्पूर्ण तहसील बदनावर के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद व रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ भी शामिल होगी) ।</p>
10	<p>श्रीमती सीमा धाकड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर</p>	<p>आरक्षी केन्द्र कानवन</p>	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा द.प्र. सं.के अपराधों से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही ।</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन ।</p> <p>4—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र ।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>9—आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बदनावर—ब (कानवन) द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>10—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय</p>

			<p>पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>11—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
11	श्री देवेन्द्रसिंह सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी	आरक्षी केन्द्र धामनोद	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण एवं द.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही (अध्याय—9 द.प्र.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)।</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9—आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त धरमपुरी द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>10—ऐसे न्यायालय जो रिक्त है उन न्यायालयों के अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों में समस्त कार्यवाही।</p> <p>11—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>12—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
	वन विधि, खनन अधि. व वन्य प्राणी संरक्षण अधि. अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क.सी./1743/ जबलपुर दिनांक 04.05.16 एवं ज्ञापन क. डी./ 3036 III-66/90 जबलपुर दि.28.07.16 के पालन में।	सम्पूर्ण तहसील धरमपुरी	<p>1—संपूर्ण तहसील धरमपुरी में वन अधिनियम एवं खनिज अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>2—संपूर्ण तहसील धरमपुरी में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>3—संपूर्ण तहसील धरमपुरी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एक्ट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण।</p> <p>4—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>5—दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>6—म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद</p>

			(मजिस्ट्रेट द्वायल प्रकरण) 7—म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण। 8—औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 से संबंधित प्रकरण।
12	सुश्री अपेक्षा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी	—	1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा द.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। 3—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय—समय पर अंतरित प्रकरण।
	महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क.डी./394/III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में।	सम्पूर्ण तहसील धरमपुरी	1—संपूर्ण तहसील धरमपुरी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा अध्याय 9 द.प्र.सं. से संबंधित प्रकरण। 2—संपूर्ण तहसील धरमपुरी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद व रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ भी शामिल होगी)।
13	श्री श्रीकृष्ण बरार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी	आरक्षी केन्द्र धरमपुरी	1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा द.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। 3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र तथा अन्य निजी परिवाद पत्र। 5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 9—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण। 10—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52-क एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।

14	<p>श्री हर्षराज दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी</p> <p>वन विधि, खनन अधि. व वन्य प्राणी संरक्षण अधि. अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क.सी./1743/ जबलपुर दिनांक 04.05.16 एवं ज्ञापन क. डी./3036 III-6-6/90 जबलपुर दि.28.07.16 के पालन में।</p>	<p>आरक्षी केन्द्र कुक्षी</p>	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र. सं.के अपराधों से संबंधित प्रकरण।      2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। (अध्याय-9 द.प्र.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)      3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।      4—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।      5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।      6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।      7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।      8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।      9—आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त कुक्षी द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।      10—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।      11—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p> <p>संपूर्ण तहसील कुक्षी</p>
15	<p>सुश्री अर्चना मर्स्कोले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी</p>	<p>आरक्षी केन्द्र टाण्डा</p>	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.</p>

			<p>सं.के अपराधो से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>10—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52-क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
	महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र.डी / 394 / III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में।	संपूर्ण तहसील कुक्षी	<p>1—सम्पूर्ण तहसील कुक्षी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू हिसां से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा अध्याय 9 द.प्र.सं. से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—सम्पूर्ण तहसील कुक्षी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद व रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ भी शामिल होगी)।</p>
16	श्री दीपेन्द्र मालू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी	1—आरक्षी केन्द्र बाग 2—आरक्षी केन्द्र डही	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र. सं.के अपराधो से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। (अध्याय-9 द.प्र.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण</p>

			<p>अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9—ऐसे न्यायालय जो रिक्त है उन न्यायालयों के अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों में समस्त कार्यवाही।</p> <p>10—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>11—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
17	<p>श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, मनावर</p> <p>वन विधि, खनन अधि. व वन्य प्राणी संरक्षण अधि. अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय</p>	<p>आरक्षी केन्द्र मनावर</p> <p>संपूर्ण तहसील मनावर एवं गंधवानी</p>	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा द.प्र. सं.के अपराधों से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। (अध्याय—9 द.प्र.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9—आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त मनावर द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>10—ऐसे न्यायालय जो रिक्त है उन न्यायालयों के अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों में समस्त कार्यवाही।</p> <p>11—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>10—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
			<p>1—संपूर्ण तहसील मनावर एवं गंधवानी में वन अधिनियम एवं खनिज अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p>

	<p>के ज्ञापन क.सी/1743/जबलपुर दिनांक 04.05.16 एवं ज्ञापन क. डी/3036 III-6-6/90 जबलपुर दि.28.07.16 के पालन में।</p>		<p>2—संपूर्ण तहसील मनावर एवं गंधवानी में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।      3—संपूर्ण तहसील मनावर एवं गंधवानी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एकट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण।      4—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रकरण।      5—दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।      6—म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद (मजिस्ट्रेट ट्रायल प्रकरण)      7—म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण।      8—औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 से संबंधित प्रकरण।</p>
		संपूर्ण तहसील मनावर	संपूर्ण तहसील मनावर के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण।
18	श्री कृष्णा वोहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर	आरक्षी केन्द्र गंधवानी	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र. सं.के अपराधों से संबंधित प्रकरण।      2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।      3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।      4—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।      5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।      6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।      7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।      8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।      9—आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त गंधवानी द्वारा प्रस्तुत उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।      10—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।      11—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52-क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
19	सुश्री रुही एजाज मेव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर	—	1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.

			<p>सं.के अपराधो से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।</p> <p>3—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
	महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क.डी/394/III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में।	संपूर्ण तहसील मनावर एवं गंधवानी	<p>1—संपूर्ण तहसील मनावर एवं गंधवानी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा अध्याय 9 द.प्र.सं. से संबंधित प्रकरण। (ग्राम न्यायालय के सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर)</p> <p>2—संपूर्ण तहसील मनावर एवं गंधवानी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद व रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाहियों भी शामिल होगी)।</p>
20	श्री रामावतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	आरक्षी केन्द्र सरदारपुर	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा द.प्र. सं.के अपराधो से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। (अध्याय—9 द.प्र.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकार्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त सरदारपुर द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>7—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>9—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>10—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>11—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
	वन विधि, खनन अधि. व वन्य प्राणी संरक्षण अधि. अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क.सी/1743/जबलपुर दिनांक 04.05.16 एवं	संपूर्ण तहसील सरदारपुर	<p>1—संपूर्ण तहसील सरदारपुर में वन अधिनियम एवं खनिज अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>2—संपूर्ण तहसील सरदारपुर में वन्य प्राणी</p>

	ज्ञापन क्र. डी/3036 III-6-6/90 जबलपुर दि.28.07.16 के पालन में।		<p>संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>3—संपूर्ण तहसील सरदारपुर के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एकट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण।</p> <p>4—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>5—दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>6—म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद (मजिस्ट्रेट द्रायल प्रकरण)</p> <p>7—म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>8—औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 से संबंधित प्रकरण।</p>
21	श्रीमती अकांक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	आरक्षी केन्द्र राजोद	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा द.प्र. सं.के अपराधों से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>10—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
	महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र.डी/394 / III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में।	संपूर्ण तहसील सरदारपुर	<p>1—सम्पूर्ण तहसील सरदारपुर में स्थित थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा अध्याय 9 द.प्र.सं. से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—सम्पूर्ण तहसील सरदारपुर के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद</p>

			व रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ भी शामिल होगी)।
22	श्री भूपेन्द्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	1—आरक्षी केन्द्र अमझेरा	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा द.प्र. सं.के अपराधों से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। (अध्याय—9 द.प्र.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9—ऐसे न्यायालय जो रिक्त है उन न्यायालयों के अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों में समस्त कार्यवाही।</p> <p>10—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>11—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
23	श्री महेन्द्रसिंह मेहसन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	आरक्षी केन्द्र राजगढ़	<p>1—विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा द.प्र. सं.के अपराधों से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2—विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। (अध्याय—9 द.प्र.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)</p> <p>3—उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन।</p> <p>4—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र।</p> <p>5—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6—उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7—उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता—पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p>

		<p>8—उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>10—उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52—क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p>
--	--	--

अनुमोदित।

(संजीव कुमार अग्रवाल)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
धार जिला धार (म.प्र.)

(नताशा शेख पटेल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
धार जिला धार (म.प्र.)

**न्यायिक अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर प्रभार**

मजिस्ट्रेट के अवकाश अथवा अनुपस्थित रहने पर उनके न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य नीचे लिखे अनुसार कॉलम नं.-3 के मजिस्ट्रेट उपलब्धता के क्रमानुसार, संपादित करेंगे।





	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	2. श्री रामावतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर 3. श्री भूपेन्द्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 4. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
22	श्री भूपेन्द्र यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	1. श्री रामावतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर 2. श्री महेन्द्रसिंह मेहसन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 3. श्रीमती आकांक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 4. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
23	श्री महेन्द्रसिंह मेहसन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	1. श्री भूपेन्द्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 2. श्री रामावतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर 3. श्रीमती आकांक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 3. श्री कादिर खाँ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार

**टीप:-**

- विशेष परिस्थिति में जिला/तहसील मुख्यालय के न्यायालयों के मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने या अवकाश पर होने की स्थिति में उपरोक्त तालिका अनुसार कमवर्ती आगामी मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त न्यायालयों के आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किये जावेंगे।
- आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य धारा 436 एवं 437 द.प्र.सं. के तहत जमानत एवं सुपुर्दगी आवेदन का निराकरण एवं प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना, न्यायिक रिमाण्ड तथा पुलिस रिमाण्ड निराकृत करना आदि है।
- संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने पर प्रभार में होने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संबंधित थानों के आवश्यक समरी प्रकरण प्रस्तुत होने पर स्वीकारोक्ति की दशा में उन्हें अपने ही न्यायालय में पंजीबद्ध दर्ज कर निराकृत करेंगे।
- कॉलम नंबर 2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी प्रकार की अवकाश पर जाने के पूर्व अवकाश आवेदन पत्र की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कॉलम नंबर 3 में दर्शित मजिस्ट्रेट को प्रदान करेंगे।

**(नताशा शेख पटेल)**  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
धार जिला धार (म.प्र.)

**धारा 164 द.प्र.सं. के अधीन कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु कथन हेतु प्रभार**

नीचे लिखे अनुसार कालम नं.-3 में मजिस्ट्रेट जो भी कम से उपलब्ध होंगे, धारा-164 द.प्र.सं. के तहत कालम नं.-2 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों द्वारा लाये जाने पर कथन लिपिबद्ध करेंगे :—

**न्यायिक अधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ कर्नाटका विरुद्ध शिवन्ना उर्फ तरकारी शिवन्ना एस.एल.पी. (किमीनल) नं. 5073 / 2011 दिनांक 25.04.2014 में प्रतिपादित दिशा निर्देश के अनुसार पीड़िता के कथन ऐसा संभव शीघ्रतापूर्ण लिपिबद्ध करेंगे।**

जिला मुख्यालय धार पर महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध को छोड़कर अन्य अपराध में धारा 164 द.प्र.सं. के कथन हेतु प्रभार		
क्र.	आरक्षी केंद्र का नाम	प्रभारी न्यायिक अधिकारी के नाम
1	कोतवाली धार एवं सागौर	1. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्री कादिर खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती उषाकांता बैरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
2	नौगांव एवं पीथमपुर सेक्टर-3 (बगदून)	1. श्री कादिर खाँ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्रीमती उषाकांता बैरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
3	सेक्टर नंबर-1 पीथमपुर एवं अ.जा.क	1. श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्री कादिर खाँ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
4	माण्डव एवं नालछा	1. श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार, 2. श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्री कादिर खाँ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती उषाकांता बैरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
5	सादलपुर एवं तिरला	1. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्री कादिर खाँ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार,
6	महिला पुलिस थाना धार	1. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्री कादिर खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार

जिला मुख्यालय धार पर महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन हेतु प्रभार		
क्र.	आरक्षी केंद्र का नाम	प्रभारी न्यायिक अधिकारी के नाम
1	आरक्षी केन्द्र नौगांव एवं पीथमपुर सेक्टर-3 (बगदून)	1. श्री कादिर खॉ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती उषाकांता बैरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
2	आरक्षी केन्द्र कोतवाली धार एवं सागौर	1. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्रीमती उषाकांत बैरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्री कादिर खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
3	आरक्षी केन्द्र मांडव एवं नालछा	1. श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्री कादिर खॉ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती उषाकांता बैरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
4	आरक्षी केन्द्र सेक्टर नंबर-1 पीथमपुर एवं आरक्षी केन्द्र विशेष पुलिस अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण (अ.जा.क) धार	1. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती उषाकांता बैरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
5	आरक्षी केन्द्र सादलपुर एवं तिरला	1. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्री कादिर खॉ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
तहसील मुख्यालय धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन हेतु प्रभार		
क्र.	आरक्षी केंद्र का नाम	प्रभारी न्यायिक अधिकारी के नाम
1	धरमपुरी (महिलाओं से संबंधित अपराध से अन्य अपराध)	1. सुश्री अपेक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धरमपुरी 2. श्री देवेन्द्र सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धरमपुरी 3. सुश्री रुही एजाज मेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनावर 4. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनावर
2	धामनोद (महिलाओं से संबंधित अपराध से अन्य अपराध)	1. श्री श्रीकृष्ण बरार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धरमपुरी 2. सुश्री अपेक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धरमपुरी 3. सुश्री रुही एजाज मेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनावर 4. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनावर
3	1.धरमपुरी 2.धामनोद के महिला संबंधित अपराध	1. श्री देवेन्द्रसिंह सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धरमपुरी 2. श्री श्रीकृष्ण बरार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धरमपुरी 3. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनावर 4. श्री कृष्ण वोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनावर



13	राजोद (महिलाओं से संबंधित अपराध से अन्य अपराध)	1. श्री भूपेन्द्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 2. श्री महेन्द्र सिंह मेहसन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर 3. श्री रामवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्री कादिर खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
14	राजगढ़ (महिलाओं से संबंधित अपराध से अन्य अपराध)	1. श्रीमती आकांक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर 2. श्री भूपेन्द्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर 3. श्री रामवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
15	1. अमझेरा 2. सरदारपुर, 3. राजोद, 4. राजगढ़ के महिलाओं से संबंधित अपराध	1. श्री भूपेन्द्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 2. श्री महेन्द्र सिंह मेहसन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 3. श्री रामवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी मजूमदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
16	बदनावर (महिलाओं से संबंधित अपराध से अन्य अपराध)	1. श्रीमती सीमा धाकड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 2. सुश्री जसविता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 3. श्री रामवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 4. श्री महेन्द्रसिंह मेहसन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर
17	कानवन (महिलाओं से संबंधित अपराध से अन्य अपराध)	1. सुश्री नेहा प्रधान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर 2. सुश्री जसविता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 3. श्री रामवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 4. श्री महेन्द्रसिंह मेहसन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर
18	1. कानवन 2. बदनावर के महिलाओं से संबंधित अपराध	1. सुश्री नेहा प्रधान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 2. सुश्री जसविता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 3. श्री भूपेन्द्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 4. श्री महेन्द्रसिंह मेहसन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर

**सामान्य टीप :-**

1	रिमाण्ड ड्यूटी लगाये जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट स्वयं के न्यायालय में उनके न्यायालय के कर्मचारीगण सहित दिन में 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड संबंधी कार्य संपादित करेंगे, उक्त दिनांक को को प्रोटोकॉल होने पर जिला रजिस्ट्रार का प्रोटोकॉल में सहयोग भी करेंगे तथा जिला रजिस्ट्रार के अवकाश में होने पर प्रोटोकॉल से संबंधित आवश्यक व्यवस्था भी संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा निर्देशन अनुसार अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
2	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार सम्पूर्ण जिले में चलित न्यायालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धार को पूर्व सूचना देकर तथा अन्य सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार से अनुमति प्राप्त कर अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय संचालित करेंगे।
3	समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यदि धारा 167 (2) द.प्र.सं. के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करते हैं तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार की ओर आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।
4	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार सम्पूर्ण जिला धार के किसी भी न्यायालय से संबंधित अभियोग पत्र, अंतिम प्रतिवेदन तथा अन्य परिवाद आदि ग्रहण कर सकेंगे।

5	जिस न्यायालय द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है वही न्यायालय स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में अभियुक्त को लाये जाने पर उस प्रकरण का विचारण करेगा। यदि स्थाई वारण्ट जारी करने वाला न्यायालय रिक्त है तो ऐसे स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट में अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा जिनके पास वारण्ट निष्पादन करने वाले आरक्षी केन्द्र के मामलों को सुनने की अधिकारिता है तथा ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा ही उक्त प्रकरण का विचारण किया जावेगा।
6	जिले के समस्त थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अन्तर्गत किशोर बालकों के अपराधों से संबंधित समस्त प्रकरण श्रीमती नविश्ता कुरैशी, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सुने जायेंगे।
7	नगरपालिका धार क्षेत्र के दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा-125, 126, 127 एवं 128 के अन्तर्गत आने वाले प्रकरण कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय धार के समक्ष प्रस्तुत होंगे।
8	अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम संशोधित अधिनियम 2016 की धारा-8 के परंतुक के आलोक में उक्त अधिनियम से संबंधित अपराध के अधीन प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही तथा इसी प्रकार बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम के अधीन प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही विशेष परिस्थितियों में संबंधित थाने के प्रभार वाले मजिस्ट्रेट या रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकेगी तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली माननीय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/माननीय विशेष न्यायाधीश (बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम) के न्यायालय में भेजी जावेगी।
9	महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधित मामलों में जिस मजिस्ट्रेट को उक्त मामले सुनने हेतु अधिकृत किया गया है, ऐसे मामलों में धारा-164 द०प्र०सं० के कथन उक्त न्यायालय के न्यायिक अधिकारी द्वारा लेखबद्ध नहीं किये जायेंगे और उनके स्थान पर अगले प्रभारी न्यायिक अधिकारी ऐसे कथन लेखबद्ध करेंगे।
10	आरक्षी केन्द्र नौगांव दिनांक 01.07.2015 को आरक्षी केन्द्र धार के क्षेत्राधिकार से पृथक करते हुए नवीन आरक्षी केन्द्र बनाया गया है, जिससे आरक्षी केन्द्र धार को जारी स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जिनकी आमद आरक्षी केन्द्र धार में हैं, उन्हें आरक्षी केन्द्र धार के तथा जिनकी आमद आरक्षी केन्द्र नौगांव में हैं, उन्हें आरक्षी केन्द्र नौगांव के सुनने की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा ही उक्त प्रकरण का विचारण किया जावेगा।
11	धारा 138 एन.आई.एक्ट के परिवाद एवं अन्य निजी परिवाद में अभियुक्त के विरुद्ध जिस न्यायालय द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है, वही न्यायालय स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में अभियुक्त को लाये जाने पर उस प्रकरण का विचारण करेगा, यदि स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट में अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा, जिनके पास वारण्ट निष्पादन करने वाले आरक्षी केन्द्र से संबंधित धारा 138 एन.आई.एक्ट के परिवाद एवं अन्य निजी परिवाद को सुनने की अधिकारिता है, उसी मजिस्ट्रेट द्वारा ही उक्त प्रकरण का विचारण किया जावेगा।
12	महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से तात्पर्य है, धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354-ए, बी, सी, डी तथा 354-ए म.प्र.संशोधन अधिनियम, 366, 366ए, 366बी, 376, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.दं.वि एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती तथा निवारण अधिनियम 1957 एवं ऐसे समस्त अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किये जा सकते हैं।

**धारा 176 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कस्टोडियल डेथ केस की मजिस्ट्रियल जांच के संबंध में प्रभार**

धारा 176 दं.प्र.सं. के अंतर्गत जिला स्थापना धार में कस्टोडियल डेथ केस की मजिस्ट्रियल जांच के संबंध में निम्नलिखित तालिकानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं :—

**नोट:-** नीचे लिखे अनुसार कालम नं.-3 में मजिस्ट्रेट जो भी कम से उपलब्ध होंगे, उनके द्वारा धारा 176 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कालम नं.-2 में वर्णित तहसीलों पर जांच की जावेगी)

क्र.	तहसील	जांचकर्ता मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा जांच की जाना है	जांचकर्ता मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में प्रभार
(1)	(2)	(3)	(3)
1	धार	माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी मजूमदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	1. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्री कादिर खौ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती उषाकांता बैरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
		माह अप्रैल, मई एवं जून श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	1. श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी मजूमदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्री कादिर खौ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती उषाकांता बैरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
		माह जुलाई अगस्त एवं सितम्बर सुश्री सजना मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	1. श्री कादिर खौ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्रीमती उषाकांता बैरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी मजूमदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
		अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर श्री कादिर खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	1. श्रीमती उषाकांता बैरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी मजूमदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
2	सरदारपुर	माह जनवरी, फरवरी, मार्च श्री रामावतार पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	1. श्री महेन्द्रसिंह मेहसन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 2. श्री भूपेन्द्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 3. श्रीमती आकांक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धार 4. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
		माह अप्रैल, मई, जून श्रीमती आकांक्षा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	1. श्री रामावतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र. श्रेणी सरदारपुर 2. श्री महेन्द्रसिंह मेहसन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 3. श्री भूपेन्द्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 4. श्रीमती उषाकांत बैरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धार
		माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर श्री भूपेन्द्र यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	1. श्रीमती आकांक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र. श्रेणी सरदारपुर 2. श्री रामावतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 3. श्री महेन्द्रसिंह मेहसन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 4. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धार
		माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर	1. श्री भूपेन्द्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 2. श्रीमती आकांक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र. श्रेणी सरदारपुर



		श्री दीपेन्द्र मालू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी	3. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 4. श्री कृष्ण वोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर
6	धरमपुरी	<b>माह जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल</b> श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी	1. सुश्री अपेक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी 2. श्री श्रीकृष्ण बरार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 3. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 4. श्री कृष्ण वोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर
		<b>माह मई, जून, जुलाई एवं अगस्त</b> सुश्री अपेक्षा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी	1. श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी 2. श्री श्रीकृष्ण बरार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 3. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 4. श्री कृष्ण वोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर
		<b>माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर</b> श्री श्रीकृष्ण बरार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी	1. श्री श्रीकृष्ण बरार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी 2. सुश्री अपेक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 3. श्री कृष्ण वोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 4. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर

**नोट:-** भविष्य में न्यायिक अधिकारी के स्थानांतरण आदि पर नव पदस्थ न्यायिक अधिकारी यथावत इस आदेश के अधीन सशक्त मान्य समझे जावेंगे।

<b>अनुमोदित।</b> <b>सही/07.05.24</b> <b>(संजीव कुमार अग्रवाल)</b> प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार जिला धार (म.प्र.)	<b>सही/07.05.24</b> <b>(नताशा शेख पटेल)</b> मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार जिला धार (म.प्र.)
---	--

पृष्ठांकन क्रमांक 209 / 2024

धार दिनांक 07.05.2024

प्रतिलिपि :-

- 1— माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर।
- 2— माननीय प्रिंसीपल रजिस्ट्रार महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर।
- 3— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, धार की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4— कलेक्टर, धार को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5— पुलिस अधीक्षक, धार की ओर संबंधित थानों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 6— श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, न्यायालय, धार को सूचनार्थ।
- 7— श्रीमान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, धार की ओर सूचनार्थ।
- 8— श्रीमान् प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार/सरदारपुर/बदनावर/धरमपुरी/मनावर/कुक्षी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी, धार/सरदारपुर/बदनावर/धरमपुरी/मनावर/कुक्षी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 10— अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, धार/सरदारपुर/बदनावर/धरमपुरी/मनावर/कुक्षी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 11— जिला अभियोजन अधिकारी, धार।
- 12— वन संरक्षक वृत, धार।
- 13— श्रम पदाधिकारी, धार।

- 14— मुख्य अभियंता, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. धार।
- 15— सी.एम.ओ., नगरपालिका धार।
- 16— जिला आबकारी अधिकारी, धार।
- 17— सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, धार की ओर सूचनार्थ।
- 18— जिला विधिक सहायता अधिकारी, धार की ओर सूचनार्थ।
- 19— जेल अधीक्षक जिला धार की ओर सूचनार्थ।
- 20— अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला धार की ओर सूचनार्थ।
- 21— जिला दूरसंचार प्रबंधक, जिला धार की ओर सूचनार्थ।

**सही/07.05.24**  
**(नताशा शेख पटेल)**  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
 धार जिला धार (म.प्र.)